

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला - नारायणपुर (छोगो)

Ph. & Fax No. 07781-252483

E-Mail ID - cmbhooper@gmail.com

क्रमांक/2187 /IIR/NIIM/मु.वि.अ./2023-24

नारायणपुर, दिनांक 29/09/2023

भारती विज्ञापन

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. नया रायपुर के पत्र क्रमांक/एनएचएम/एचआर./2023/NS-48/378 नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04.05.2023 एवं छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानी भवन, नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3, नया रायपुर दिनांक 03.05.2023 के कण्डिक (3) के अनुसार नियुक्ति एवं घयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एसएलपी(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी। फाल्गुन/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य संचालक के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार संविदा रिक्त पदों की भर्ती किया जाना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर छोगो के पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्विफ्ट/स्वयं के द्वारा दिनांक 29.09.2023 से 05.10.2023 सायंकाल 03:00 बजे तक पूर्ण भरे हुए एवं लिफाफे पर पद नाम लिखे हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। नियत अवधि पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

संविदा नियुक्ति हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताएँ निम्नानुसार है :-

स. क्र.	पदनाम	रिक्त पद	मासिक वेतन	श्रेणीवार रिक्त पद			
				ST	SC	OBC	LR
01	Nursing Officer - NMHP	1	16500	0	0	0	1

अनिवार्य शैक्षणिक/व्यवसायिक अर्हता एवं घयन का आधार

क्र.	पद का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक/व्यवसायिक अर्हता	घयन का आधार
01	Nursing Officer - NMHP	बी.एस.सी. नर्सिंग के साथ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड अनिवार्य है।	शैक्षणिक योग्यता का 65 प्रतिशत एवं 15 अंक (एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों) को अनुभव का प्रत्येक वर्ष 03 अंक एवं 10 अंक अन्य अभ्यर्थियों को अनुभव का प्रत्येक वर्ष 02 अंक दिया जावेगा (अधिकतम 05 वर्ष) तथा लिखित परीक्षा का -20 अंक

नोट :- 1. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नारायणपुर अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिक्त संविदा पदों की भर्ती हेतु कार्यालय क्रमांक/1911/IIR/NIIM/मु.वि.अ./2023-24 नारायणपुर दिनांक 22.05.2023 को जारी विज्ञापन सरल क्रमांक 09 में अंकित पद Nursing Officer - NMHP हेतु पूर्व में आवेदन किये हुये Bsc Nursing के अभ्यर्थियों का पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक नये अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. दिनांक 05.10.2023 को शाम 05:00 बजे पात्र/अपात्र सूची जारी की जावेगी। दिनांक 06.10.2023 को उक्त पद हेतु बहुवैकल्पिक परीक्षा ली जावेगी। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि जिले के वेबसाइट www.narayanpur.gov.in व स्थानीय समाचार पत्रों का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।



सविदा भर्ती के संबंध में महत्व पूर्ण शर्तें एवं दिशा-निर्देश :-

01. आवेदक जिले के वेबसाईट www.narayanur.gov.in में विज्ञापन अनुसार आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
 02. मितानिनों में से ए.एन.एम./जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सविदा पदों में भर्ती हेतु अनुभव आधारित 02 अंक प्रतिवर्ष देने का प्रावधान था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठक के कार्यवाही विवरण पत्र क्र. /एनएचएम/2018/EC- Meeting /2018/234/504 रायपुर, दिनांक 22.05.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार एजेन्डा क्र.05 में प्रतिवर्ष 02 के स्थान पर अनुभव अंक प्रतिवर्ष 04 अंक देते हुए अधिगत 20 अंक तक दिये जाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के सविदा ए.एन.एम. पदों के लिये उपरोक्त प्रावधान 31 दिसंबर 2017 तक ए.एन.एम. पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुकी मितानिनों के लिये ही लागू होगा।
 03. राज्य कार्यालय के निर्देशानुसार स्टॉफ नर्स एवं ए.एन.एम. पद पर मितानिन द्वारा कार्य अवधि का प्रमाण-पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुभव के अंक (प्रति वर्ष 04 अंक व अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जावेगा।)
 04. अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान (केन्द्र व छ.ग. शासन का उपक्रम) का ही मान्य होगा। पद से संबंधित कार्यानुभव पर प्रति वर्ष 02 अंक व अधिकतम 10 अंक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को प्रति वर्ष 03 अंक व अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जावेगा। वर्ष पूर्ण होने पर ही 01 वर्ष की गणना की जावेगी। (आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय का आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होना, कार्यालय का आदेश पत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।)
 05. लिखित/कौशल परीक्षा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान देय नहीं होगा।
 06. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है।
 07. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को अच्छी तरह से संलग्न किया जाये।
 08. निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करें। (1) आवेदन पत्र (2) डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) (3) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (4) जाति प्रमाण पत्र (5) निवास प्रमाण पत्र (6) रोजगार पंजीयन (7) अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र (8) अन्य प्रमाण पत्र
 09. एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग - अलग आवेदन एवं डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा।
 10. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाये अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा।
 11. आवेदन शुल्क डी. डी. /अन्य ऑनलाईन के माध्यम/गुगल पे/फोन पे से District Health Society Non NRHM Other Fund के SBI खाता क्रमांक 32210419470 IFSC Code SBIN0002878 में जमा कर पावती आवेदन पत्र में संलग्न करें। बिना आवेदन शुल्क रसीद के आवेदन पर मान्य नहीं किया जावेगा। आवेदन प्राप्ति उपरांत डी. डी. में सुधार मान्य नहीं किया जावेगा। डी.डी. क्रमांक, दिनांक का एल्तेख किया जाना अनिवार्य होगा।
- | वर्ग | निर्धारित मानदेय 25000/- से कम पर शुल्क | निर्धारित मानदेय 25000/- से अधिक पर शुल्क |
|----------------------------|---|---|
| दिव्यांग जन/अ.जा./ अ.ज.जा. | 100/- | 200/- |
| अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला | 200/- | 300/- |
| अनारक्षित | 300/- | 400/- |
12. निर्धारित समय व तिथि में आवेदित पद के अनुसार अना., अज, अजजा एवं अपिव के संबंधित अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क, बैंक ड्रफ्ट के माध्यम से आवेदन के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा।
 13. सविदा मानदेय :- सविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय प्रावधानित आर.ओ.पी. अनुसार देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
 14. दस्तावेजों कमी को दावा आपत्ति के अंतिम दिनांक तक जमा करना अनिवार्य होगा।
 15. उक्त पदों की सविदा नियुक्ति 31 मार्च 2024 तक के लिए होगी, तथापि विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं सविदा में नियुक्त व्यक्ति के उपयुक्तता के ऑकलन कर सविदा में वृद्धि करने का निर्णय ले सकेगी।
 16. प्रतीक्षा सूची के शेषता एक वर्ष की होगी।
 17. घयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर सविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, इसी प्रकार किसी भी अभ्यर्थी का त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन जमा करना होगा।
 18. यह सविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी व अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेश जारी करने पर संबंधित को अपने मूल पदस्थापना स्थल में निर्धारित समयवाधि में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगी।
 19. घयन प्रक्रिया के किसी भी घरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से निष्पक्ष घयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

02 -

20. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार अध्यक्ष/ कलेक्टर, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला नारायणपुर को होगा, जो सभी को मान्य होगा।
21. शासकीय/अर्धशासकीयसंस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा।
22. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी, प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी अवलोकन कर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पायी जावेगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी, त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र घयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
23. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राक्षम अधिकारी द्वारा जारी र्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
24. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
25. राज्य सरकार के निर्देशानुसार भविष्य में चेतनमान घटाया एवं बढ़ाया जावेगा।
26. आवेदन पर में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो चरया किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
27. प्राप्त आवेदनों में से रिक्त पदों पर 1 अनुपात 10 के आधार मेरिट/लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जावेगा।
28. आयु सीमा - 01 जनवरी 2023 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु 64 वर्ष प्रबंधकीय पद पर होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी 2023 से की जावेगी। इस आयु सीमा में सभी प्रकार के छूट शामिल हैं।
29. संविदा भर्ती के संबंध में आरक्षण एवं अन्य शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार लागू होगी।
30. नियुक्ति उपरान्त समस्त प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कराया जावेगा किसी प्रकार की दस्तावेजों में विपरीत या प्रतिकूल प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावेगा।
31. पूर्व में किसी भी अभ्यर्थी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति 2018 के तहत नियमों के उल्लंघन के कारण पद से पृथक किया गया हो या सेवा समाप्त किया गया हो ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन अमान्य माना जावेगा।
32. दस्तावेज जांच के दिन निम्नानुसार मूल अभिलेखों के सहित अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :-
 1. आठवी, दसवी का अंकसूची
 2. स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकसूची
 3. संबंधित डिग्री/डिप्लोमा
 4. संबंधित कौंसिल का पंजीयन
 5. राक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
 6. राक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र
 7. नि:शक्तता प्रमाण पत्र (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)
33. जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। (छायाप्रति संलग्न करें)।
34. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति 2018 के कडिकातहत ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी सेवायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय विभाग/शासन द्वारा वित्त पोषण संस्थायें द्वारा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनिमियतता/अनुचित व्यवहार के कारण से सेवा समाप्त की गयी है, उन्हें अपात्र उम्मीदवार की श्रेणी में रखा जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला- नारायणपुर (उ०ग०)

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1..... 2..... 3..... 4..... 5.....
6..... 7..... 8..... 9.....
10..... 11..... 12.....

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

—: घोषणा पत्र :-

“मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विवास के अनुसार पूर्णतः सत्य है। यदि कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।”

स्थान :

दिनांक :

आवेदक /आवेदिका नाम

हस्ताक्षर व पूर्ण पता